कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा

क्रमांक एफ( )तक0 / 2015–16 / 4230 दिनांकः– 24/08/2016

साईट निरीक्षण बोराबास–मण्डाना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कोटा , राजस्थान

दिनांक 28.06.2016 एवं 16.08.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उप वन संरक्षक, वन्यजीव, मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा के साथ बोराबास–मण्डाना वाटर सप्लाई परियोजना का जो हिस्सा मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के अधीन पडता है, का निरीक्षण किया गया। इस परियोजना की वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 02.06.2015 द्वारा शर्तो के साथ जारी की गई। शर्तो की पालना यूजर एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित की जानी हैं। निरीक्षण एवं यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार आवेदित क्षेत्र मे से 0.86 हैक्टयर क्षेत्रफल मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बफर एरिया की वन भूमि हैं। परियोजना के अनुसार इस क्षेत्र में पाईप लाईन डाला जाना प्रस्तावित है। यूजर एजेन्सी द्वारा पेश प्रस्ताव के अनुसार इस पाईप लाईन डालने में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्र न्यूनतम तथा अपरिहार्य हैं। प्रस्तावित क्षेत्र मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पडता हैं, जिसमें कार्य करने की पूर्वानुमति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से दिनांक 02.06.2015 को प्राप्त हो चुकी है तथा एन.टी.सी.ए.(NTCA) भारत सरकार की रिपोर्ट (Ofiice Memorandum)दिनांक 05.04.2016 एवं वन, पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मत्रांलय (Wildlife Division) भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.04.2016 को Finalization of the water supply agumentation plan in consultation with the field director Mukandra Hills Tiger Reserve for allowing the user agency to start work at earliest की शर्त के साथ अनुमति जारी की गई।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय पत्रांक एफ( )मुवसवजी / तक / 2016 / 3332 दिनांक 01.07.2016 द्वारा यूजर एजेन्सी को Agumentation Plan के तहत केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट हेतु 20.00 लाख रूपये राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी में जमा कराने हेतु लिखा गया। यूजर एजेन्सी द्वारा राशि जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवेदित क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्विक / विरासत साईट / सैन्य क्षेत्र या अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित नहीं है। यूजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है, न ही बिना सक्षम स्वीकृति कार्य प्रारम्भ किया गया हैं।

डायवर्जन भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि प्रादेशिक वनमण्डल कोटा के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

स्थानः कोटा
दिनांकः16.08.2016

(पी0के0उपाध्याय)
मुख्य वन संरक्षक
वन्यजीव,कोटा

D:\FCA LETTER.docx